न्यायालय : सहायक कलैक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 37/2018

अनवान :

1. चानण पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. हुकमाराम पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
2. शेरसिंह पुत्र हुकमाराम कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
3. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा गांधीबड़ी जरिये प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा : **वादी**

निर्णय **दिनांक :** 25-5-18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जिगासरीछोटी तहसील भादरा के खाता सं0 107/96 के खसरा सं0 35 की 3.491 है0 खसरा सं0 267 की 1.732 है0 कुल 5.223 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी हुकमाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है जो पहले वादी के परदादा रामु की खातेदारी हुआ करती थी। रामु से उक्त भूमि वादी के दादा मोतीराम को प्राप्त हो गई एवं मोतीराम के देहान्त होने पर वादभूमि प्रतिवादी हुकमाराम के नाम विरासतन दर्ज हुई है। इस प्रकार वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का भी प्रतिवादी हुकमाराम के साथ जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी हुकमाराम के नाम महज कर्ता खानदान होने के चलते दर्ज चली आ रही है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 व 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 चानण के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम जिगासरीछोटी खाता सं0 107/96 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम जिगासरीछोटी सम्वत् 2035 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खेवट खतौनी ग्राम जिगासरीछोटी सम्वत् 2035 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है। वाद भूमि वादी के दादा मोती वल्द रामु के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में हुक्माराम के वारिसान में दो पुत्र च्यानण व शेरसिंह होना व इसके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरीछोटी तहसील भादरा के खाता सं0 107/96 के खसरा सं0 35 की 3.491 है0 खसरा सं0 267 की 1.732 है0 कुल 5.223 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी हुकमाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 हुक्माराम अकेले के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है, इसलिए बैंक रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम कृषि भूमि बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25-5-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 37/2018

अनवान :

1. चानण पुत्र हुकमाराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. हुकमाराम पुत्र मोतीराम जाति कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
2. शेरसिंह पुत्र हुकमाराम कुम्हार निवासी जिगासरीछोटी तहसील भादरा।
3. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा गांधीबड़ी जरिये प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरीछोटी तहसील भादरा के खाता सं0 107/96 के खसरा सं0 35 की 3.491 है0 खसरा सं0 267 की 1.732 है0 कुल 5.223 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी हुकमाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 हुकमाराम अकेले के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है, इसलिए बैंक रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 तीनों के नाम कृषि भूमि बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25-5-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)